

(1)

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णिमाँ)

स्वत्व वाद संख्या—351 / 1999

04.03.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी सं०—15 से 22 की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। अभिलेख आज वादी के दिनांक—03.03.2020 के आवेदन तथा प्रतिवादी सं०—15 से 22 के दिनांक—04.03.2020 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी की ओर से दाखिल केवाला सं०—8133 / 2000 दिनांक—25.11.2000 अभिलेख पर उपलब्ध है, जो प्रदर्श अंकित होने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी के दिनांक—03.03.2020 के आवेदन को स्वीकृति करते हुए केवाला सं०—8133 / 2000 की अभिप्रमाणित प्रति को प्रदर्श 3'B' अंकित करने की अनुमति दी जाती है। वादी के निवेदन पर वादी का साक्ष्य बंद किया जाता है।

दिनांक—06.03.2020 प्रतिवादी द्वारा साक्षी सूची एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी, (पूर्णिमाँ)